संख्या–   /VI-I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभागः   देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2006

विषयः–पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1357/स0नि0उ0/दो–3 /2005–06 दिनांक 31 जनवरी, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार)मात्र को पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृत नार्म है, लेकिन नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–101–ललित कला शिक्षा–03–भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय –00–09–विद्युत देय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या–1253 /वित्त (व्यय– नियंत्रक) अनुभाग–3/2006 दिनांक 21 मार्च,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या 179 /VI-I/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन।

4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।

5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तरांचल ।

6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पुनर्विनियोग 2005–06 विवरण पत्र

त्रण अधिकारी–निदेशक, संस्कृति निदेशालय। प्रशासनिक विभाग–संस्कृति विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून दिनांक

ा–

आयोजनागत (धनराशि हजार रूपये में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का ग	मानक मदवार अव्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
न संख्या–11 –कला एवं संस्कृति ललित कला शिक्षा ातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत हाविद्यालय कार्यालय व्यय 200	31	149	20	अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति 00– 101–ललित कला शिक्षा 03–भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय 00– 09–विद्युत देय 10 20	30	180	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी हेतु 09–विद्युत देय मद के आयोजनागत पक्ष में रूपये 10,000=00 मात्र धनराशि प्राविधानित की गयी थी जिसका कि पूर्ण उपयोग हो गया है। विगत कई माहों के विद्युत बीजक भुगतान हेतु लम्बित पड़े है। अतएव महाविद्यालय, पौड़ी के विद्युत देय के लम्बित बीजकों के भुगतान हेतु 09–विद्युत देय मद में रूपये 20,000=00 (रूपये बीस हजार) मात्र अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से नितान्त आवश्यकता है।
योग 200	31	149	20	10 20	30	180	–

ात किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।